

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-कोटा / एमएसीपी / 01507 / 2025 /

दिनांक:-

—:आदेश:—

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी / रूल्स / 2017 / पी.टी. दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों जिन्होंने 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एमएसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बैंड / वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड / देय पे वेतन श्रृंखला
1. 1	विलास मीणा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	08.04.2005	08.04.2023 18 वर्ष	लेवल-10	लेवल-11

नोट:- 01. उक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

02. उक्त कर्मचारियों का दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 12/01/2025

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-कोटा / एमएसीपी / 01507 / 2025 / 10

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटा।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :10-01-2025 07:29:46